2017 का विधेयक सं.9

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2017
(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 में नये अध्याय 12-क का अन्त:स्थापन.- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में विद्यमान अध्याय 12 के पश्चात् और विद्यमान अध्याय 13 से पूर्व निम्नलिखित नया अध्याय अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"अध्याय 12-क

सम्पत्ति के विरूपण का निवारण

297-क. सम्पत्ति के विरूपण के लिए शास्ति.- (1) जो कोई भी लोक दृश्यान्तर्गत आने वाली किसी भी सम्पत्ति को विरूपित कर या उस पर थूक कर या पेशाब कर, या पैम्पलेट, पोस्टर इत्यादि चिपका कर या ऐसी सम्पत्ति के स्वामी या अधिभोगी का नाम और पता उपदर्शित करने के प्रयोजन के सिवाय स्याही, चाक, रंग या किसी भी अन्य सामग्री या रीति से लिख कर या चिह्नित कर विरूपित करता है, वह प्रथम अपराध की दशा में ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, और प्रत्येक पश्चात्वर्ती

अपराध की दशा में ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन किया गया कोई भी अपराध किसी अन्य व्यक्ति या किसी कंपनी या अन्य निगमित निकाय या व्यक्तियों के किसी संगम (चाहे वह निगमित हो या नहीं) के फायदे के लिए है वहां ऐसा अन्य व्यक्ति और प्रत्येक अध्यक्ष, सभापति, निदेशक, भागीदार, प्रबन्धक, सचिव, एजेन्ट या, यथास्थिति, उसके प्रबंध मण्डल से संबंधित कोई भी अन्य अधिकारी या व्यक्ति, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर दे कि अपराध उसकी जानकारी या सम्मति के बिना किया गया था, ऐसे अपराध का दोषी समझा जायेगा।

297-ख. अपराध करने के प्रयत्न के लिए दण्ड.- जो कोई भी इस अध्याय के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध करने का प्रयत्न करता है या ऐसा अपराध कारित करवाता है और ऐसे प्रयत्न में अपराध के किये जाने के लिए कोई भी कार्य करता है, वह उस अपराध के लिए उपबंधित दण्ड से दण्डनीय होगा।

297-ग. दुष्प्रेरक के लिए दण्ड.- कोई भी व्यक्ति, जो धन की पूर्ति या याचना करके, परिसर उपलब्ध करवाकर, सामग्री का प्रदाय करके या जिस किसी भी रीति से इस अध्याय के अधीन किसी भी अपराध के किये जाने को उपाप्त करता है, उसमें परामर्श देता है, सहायक होता है, दुष्प्रेरित करता है या उपसाधक होता है वह उस अपराध के लिए उपबंधित दण्ड से दण्डित किया जायेगा।

297-घ. लेखन आदि को मिटाने की शक्ति.- धारा 297-क के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नगरपालिका या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारी ऐसे कदम उठाने के लिए सक्षम

होगा जो किसी भी सम्पत्ति से कोई भी लेखन मिटाने, उसे विरूपण मुक्त करने या कोई भी चिह्न हटाने के लिए आवश्यक हों।

297-ङ. अपराध का शमन करने की शक्ति.- नगरपालिका या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारी इस अध्याय के अधीन ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विहित की जायें, किसी भी अभियोजन को प्रत्याहृत करने, या किये गये किसी भी अपराध का शमन करने के लिए सक्षम होगा।

297-च. संरक्षण.- सरकार, किसी भी स्थानीय प्राधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी किसी भी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी जो इस अध्याय के अधीन सद्भावपूर्वक या लोकहित में की गयी या की जाने के लिए आशयित है।

297-छ. अध्याय का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना.- इस अध्याय के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी प्रभावी होंगे।

297-ज. परिभाषाएं.- इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "विरूपण" के अन्तर्गत स्वरूप या सौन्दर्य का ह्रास करना या उसमें हस्तक्षेप करना, जिस किसी भी प्रकार से नुकसान करना, विद्रूपण करना, बिगाड़ना या क्षति करना है और शब्द "विरूपित करना" का अर्थान्वयन तदनुसार किया जायेगा;

(ख) "सम्पत्ति" के अन्तर्गत कोई भी भवन, झोंपड़ी, स्मारक, मूर्ति, जल पाइप लाइन, लोक सड़क, संरचना, प्रांगणभित्ति सहित दीवार, पेड़, बाड़, खम्भा, बल्ली या कोई भी अन्य परिनिर्माण है जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये;

(ग) "लोक स्थान" से (सड़क, गली या मार्ग, जो चाहे आम रास्ता हो या नहीं, और किसी उतराई के स्थान को सम्मिलित करते हुए) कोई भी ऐसा स्थान अभिप्रेत है, जिस पर जनता की पहुंच है या आश्रय लेने का अधिकार है या जिस पर से उसे गुजरने का अधिकार है;

(घ) "लोक दृश्य" से ऐसी कोई भी वस्तु अभिप्रेत है जो जनता को उसके किसी भी लोक स्थान पर रहते या उससे गुजरते समय दृश्यमान हो; और

(च) "लेखन" के अन्तर्गत स्टेंसिल द्वारा किया गया अलंकरण, अक्षरांकन, सजावट इत्यादि है।"।

3. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 301 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 301 में विद्यमान अभिव्यक्ति "और 245," के स्थान पर, अभिव्यक्ति "245, 297-क, 297-ख और 297-ग" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 337 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 337 की उप-धारा (2) में, विद्यमान खण्ड (xxxviii) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (xxxix) से पूर्व, निम्नलिखित खण्ड अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(xxxviii-क) अध्याय 12-क के अधीन किसी भी अभियोजन को प्रत्याहृत करने, या किये गये अपराध का शमन करने के लिए निबंधन और शर्तें विहित करने के लिए;"।

5. निरसन.- राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम सं. 13) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

एक ही विभाग से संबंधित संसक्त विषयों पर विधियों को, जहां तक साध्य हो, एकल विधि में समामेलित करने हेतु राज्य सरकार की नीति को कार्यान्वित करने की दृष्टि से, राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम सं. 13) का राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) में एक नये अध्याय 12-क (धाराएं 297-क, 297-ख, 297-ग, 297-घ, 297-ङ, 297-च, 297-छ और 297-ज) के रूप में विलयन किया जाना प्रस्तावित है। धारा 301 और 337 में पारिणामिक संशोधन किये जाने भी ईप्सित हैं।

राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम सं. 13) निरसित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।
अत: विधेयक प्रस्तुत है।

श्रीचंद कृपलानी,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2, यदि अधिनियमित किया जाता है तो, राज्य सरकार को ऐसे निबंधन और शर्तें, जिनके अधीन प्रस्तावित धारा 297-ङ के अनुसार किसी भी अभियोजन को प्रत्याहृत किया जा सकेगा या मामले का शमन किया जा सकेगा, विहित करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करेगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और मुख्यत: ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

श्रीचंद कृपलानी,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

301. कतिपय अपराधों का संज्ञेय और जमानतीय होना.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम की धारा 167, 236, और 245, के अधीन दण्डनीय कोई अपराध संज्ञेय और जमानतीय होगा।

XX XX XX XX XX

(Authorised English Translation)

Bill No. 9 of 2017

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (AMENDMENT) BILL, 2017

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-eighth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Municipalities (Amendment) Act, 2017.

(2) It shall come into force at once.

2. **Insertion of new Chapter XII-A, Rajasthan Act No. 18 of 2009**.- In the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009), hereinafter referred to as the pricipal Act, after the existing Chapter XII and before the existing Chapter XIII, the following new Chapter shall be inserted, namely:-

''CHAPTER XII-A

Prevention of Defacement of Property

297-A. Penalty for defacement of Property.- (1) Whoever defaces any property in public view by defacing or spitting or urinating or pasting pamphlets, posters etc. or writing or marking with ink, chalk, paint or any other material or method except for the purpose of indicating the name and address of the owner or occupier of such property, shall be punishable, in case of first offence, with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which shall not be less than five thousand rupees but which may extend to ten thousand rupees or with both, and in case of each subsequent offence, with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to twenty thousand rupees or with both.

(2)Where any offence committed under sub-section (1) is for the benefit of some other person or a company or other body corporate or an association of persons (whether incorporated or not) then, such other person and every President, Chairman, Director, Partner, Manager, Secretary, Agent or any other officer or person concerned with the management thereof, as the case may be, shall, unless he proves that the offence was committed without his knowledge or consent, be deemed to be guilty of such offence.

297-B. Punishment for attempt to commit offence.- Whoever attempts to commit any offence punishable under this Chapter or causes such offence to be committed and in such attempt does any act towards the commission of the offence, shall be punishable with the punishment provided for the offence.

297-C. Punishment for abettor.- Any person who by the supply of or solicitation for money, the providing of premises, the supply of materials or in any manner whatsoever, procures, counsels, aids, abets, or is accessory to, the commission of any offence under this Chapter shall be punished with the punishment provided for the offence.

297-D. Power to erase writing etc.- Without prejudice to the provisions of section 297-A, it shall be competent for the municipality or any officer authorised by it in this behalf, to take such steps as may be necessary for erasing any writing, freeing any defacement or removing any mark from any property.

297-E. Power to compound offence.- It shall be competent for the municipality or any officer authorised by it in this behalf to withdraw any prosecution, or to compound any offence committed, under this Chapter on such terms and conditions as may be prescribed.

297-F. Indemnity.- No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Government, any local authority or person for anything which is in good faith or in public interest done or intended to be done under this Chapter.

297-G. Chapter to override other laws.- The provisions of this Chapter shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force.

297-H. Definitions.- In this Chapter, unless the context otherwise requires,-

(a) "defacement" includes impairing or interfering with the appearance or beauty, damaging, disfiguring, spoiling or injuring in any way whatsoever and the word "deface" shall be construed accordingly;

(b) "property" includes any building, hut, monument, statue, water pipe line, public road, structure, wall including compound wall, tree, fence, post, pole or any other erection as may be notified by the State Government from time to time;

(c) "public place" means any place (including a road, street or way whether a thoroughfare or not and a landing place) to which the public are granted access or have a right to resort or over which they have a right to pass;

(d) "public view" means anything which is visible to public while they are in or passing along any public place; and

(e) "writing" includes decoration, lettering, ornamentation etc., produced by stencil.".

3. Amendment of section 301, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In section 301 of the principal Act, for the existing expression "and 245", the expression", 245, 297-A, 297-B and 297-C" shall be substituted.

4. Amendment of section 337, Rajasthan Act No. 18 of 2009.- In sub-section (2) of section 337 of the principal Act, after the existing clause (xxxviii) and before the existing clause (xxxix), the following clause shall be inserted, namely:-

"(xxxviii-a) for prescribing terms and conditions for withdrawal of any prosecution, or compounding the offence committed, under Chapter XII-A;".

5. Repeal.- The Rajasthan Prevention of Defacement of Property Act, 2006 (Act No. 13 of 2006) is hereby repealed.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

With a view to implement the policy of the State Government to amalgamate the laws relating to one department on connected subject in a single law wherever feasible, the Rajasthan Prevention of Defacement of Property Act, 2006 (Act No. 13 of 2006) is proposed to be merged in the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No.18 of 2009) in the shape of new Chapter XII-A (sections 297-A, 297-B, 297-C, 297-D, 297-E, 297-F, 297-G and 297-H). Consequential amendments are also sought to be made in sections 301 and 337.

The Rajasthan Prevention of Defacement of Property Act, 2006 (Act No. 13 of 2006) is proposed to be repealed.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

श्रीचंद कृपलानी
Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The clause 2 of Bill if enacted, shall empower the State Government to make rules with respect to prescribing the terms and conditions under which the prosecution may be withdrawn or the matter may be compounded as per proposed section 297-E.

The proposed delegation is of normal in character and mainly relates to matters of detail.

श्रीचंद कृपलानी
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES ACT, 2009
(ACT No. 18 of 2009)

XX XX XX XX XX XX

301. Certain offences to be cognizable and bailable.- Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act No.2 of 1974), an offence punishable under sections 167, 236 and 245 of this Act shall be cognizable and bailable.

XX XX XX XX XX XX

2017 का विधेयक सं.9

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2017

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज,
सचिव।

(श्रीचन्द कृपलानी, **प्रभारी मंत्री)**

Bill No. 9 of 2017

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (AMENDMENT) BILL, 2017

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Prithvi Raj,
Secretary.

(Shrichand Kriplani, **Minister-Incharge**)